







- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदन पत्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के विषय यह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समस्त-समय पर निर्दिष्ट साक्षात्कार के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता पत्रक प्राप्त करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० में अपनी सा हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जमा आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनये गये विधिसिखई-अधिसिखई-साक्षात्कारों,निर्देशों एवं निर्देशक, प्रशिक्षक शिक्षा, उत्तर, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रशिक्षक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनये गये नियमों, विधियों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बल होगी।
- ✓ दिशेषता इन कार्यवाही परावर्तन की संस्थाएं यदि पी सी आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तराखण्ड संस्था का होना और शिक्षक तथा वे कितनी भी कार्यवाही के लिए संस्था द्वारा उत्तरदायी होगी। प्रशिक्षक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रशिक्षक शिक्षा निदेशालय एवं प्रशिक्षक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई खर्च उत्तर दिया जाता है तथा उत्तर खर्च के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा कितनी प्रकार की प्रतिपूर्ति काली-आदेश निर्दिष्ट किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ दिशेषता इन कार्यवाही परावर्तन संबंधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदिका प्रवेश परीक्षा हेतु कठिननिर्दिष्ट प्रवेश होने के पूर्व पी०आई०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त करना परीक्षा कार्यवाही को उत्तराखण्ड करना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (कठिननिर्दिष्ट के माध्यम से अथवा संस्था सा पर काली प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्दिष्ट नवीनतम-अवस्था नियमों का अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने निदेशाद पर संस्था की समस्त सुनवाई जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, भवन, साक-समस्त, उत्तराखण्ड, प्राप्त किया जाने वाला पत्रक, साक्षात्कार पत्रक आदि का निवारण उत्तराखण्ड करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षक-प्रशिक्षण हेतु उत्तराखण्ड साक्षात्कार उत्तराखण्ड करने के साथ निर्दिष्ट करने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक उत्तराखण्ड सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रशिक्षित-संबंधित साक्षात्कार को प्राप्त करने हेतु निर्देशित समिति के समस्त उत्तराखण्ड कराने गये अधिकांक, भूमि-भवन, संपत्ति, उत्तराखण्ड प्रशासित का यदि संस्था द्वारा कितनी अन्य परावर्तन के साक्षात्कार में प्रवेश किया जाता है और परीक्षा को प्रकटी करवाती होती है कि संस्था उत्तराखण्ड का प्रवेश कितनी अन्य वर्षों के लिए कर रही है तो समस्त संस्था की सम्बद्धता साक्षात्कार करने की अनुमोदन की जायेगी।
- ✓ संस्था के संबंधित निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उत्तराखण्ड एवं अन्य साक-समस्त ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०परिषद के मानकानुसार उत्तराखण्ड नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था की सम्बद्धता साक्षात्कार करना कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता पत्रों का अनुमोदन न किये जाने अथवा पत्रों का उत्तराखण्ड किये जाने की स्थिति में निदेशानुसार अनुसंधानकारण कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू०सी०-प्रशिक्षक/परीक्षा सम्बद्धता39210236-4889

द्वितीयक: 09-09-2021

प्रतिनिधि-

प्रशासक/निदेशक/RAJSHREE COLLEGE OF PHARMACY, LAHRESH RITHORA, BAWAGGANI, BAREILLY.



